



2026:AHC:54837

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत -
क्रमांक 1956, वर्ष 2026

अहमद सिद्दीकी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपरीत
पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	नूर अहमद
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नूर अहमद और राज्य के विद्वान एजीए श्री बीपी मौर्य की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह आवेदन केस क्राइम नंबर 136/2025 में बीएनएस की धारा 115(2), 351(2), 333 पुलिस स्टेशन फूलपुर, जिला प्रयागराज, के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे कहा कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और याचिकाकर्ता मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों की कोई भी चोट गंभीर या जानलेवा नहीं पाई गई है। याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। उन्होंने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि घायलों की कोई भी चोट गंभीर या जानलेवा नहीं पाई गई है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की



प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपी अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उसकी माता समीना खातून द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक को पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

10. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र
कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026